रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16, 1985/माघ 27, 1906
No. 63] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16, 1985/MAGHA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1985

सं. 33/85-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 90(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड 'क' के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 267-सीमाशुल्क [सा. का. नि. सं. 747(अ)] तारीख 29 अक्तूबर, 1984

को अधिक्रांत करते हुए, यह अवधारित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए, रूसी रूबल का भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी का रूसी रूबल में संपरिवर्तन करने के लिए विनियम दर 11.3442 रुपये होगी ।

[फा. सं. 503/2/85-सीमाशुल्क-6]

र. स. सिद्धू, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 1985

NO. 33|85-CUSTOMS

G.S.R. 90(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 267 Customs [G.S.R. No. 747(E)] dated the 29th October, 1984 the Central Government hereby determines that, for the purpose of Section 14 of the said Act, the rate of exchange for conversion of one Russian Rouble into Indian currency or vice versa, shall be rupees 11.3442.

[F. No. 503|2|85-Cus. VI]

R. S. SIDHU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985